



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34539

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2331 वर्ष 2026

नरेश बाबू सोनी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : मोहम्मद अरशद खान

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री मोहम्मद अरशद खान, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री विवेक सिंह, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याची की अभ्यावेदन यह है कि याची उत्तर प्रदेश पुलिस में दिनांक 06.09.1992 को आरक्षी के पद पर नियुक्त हुआ था तथा दिनांक 31.08.2022 को अधिवर्षिता प्राप्त कर सेवा निवृत्त हुआ, तथापि एक परिवाद प्रकरण के लंबित होने के कारण उसे तृतीय ए.सी.पी. का लाभ प्रदान नहीं किया गया।
3. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि याची के दावे का प्रथम दृष्टया परीक्षण एवं निर्णय प्रत्यर्थी संख्या-4 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए प्रत्यर्थी संख्या-4 के समक्ष एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर उक्त प्राधिकारी विधि के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर याची के दावे पर विचार कर निर्णय करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक : 17 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”